



दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर  
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार  
**South Central Zone Cultural Centre**  
Ministry of Culture, Government of India



जा.क्र.दमक्षेसांकें / ऑ.सि.क्रॉ.मेला / 1197 / 2018-19

दि. 31 / 12 / 2018

महोदय / महोदया,

विषय : 26वाँ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर – “फूड स्टॉल” के लगाने लेने हेतु आमंत्रण ।

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर द्वारा दि. 4 से 13 जनवरी, 2019 तक “26 वाँ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला” का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग एक लाख से ज्यादा कलाप्रेमी भेंट देते हैं।


इस मेले में फूड स्टॉल के लगाने हेतु इस पत्र के साथ आवेदन पत्र एवं नियमावली इत्यादि संलग्न की गई हैं। साथ ही मेले में आबंटित की जानेवाले स्टॉल के नाम व उसकी रिजर्व प्राईस लिस्ट Annexure- ‘स’ में संलग्न है। आपको रिजर्व प्राईस से ज्यादा की राशि ऑफर प्राईस के कॉलम में लिखनी है। रिजर्व प्राईस के कम की राशि लिखने पर आपका आवेदन रद्द समझा जाएगा। स्टॉल्स के व्यंजन के नाम एवं दर सूचि संलग्न की हैं।

बंद लिफाफे में आवेदन पत्र जमा करने की आखरी तारीख 02 जनवरी, 2019 को दोपहर 01 बजे कार्यालय परिसर में रखी गयी है। कोटेशन दि. 2 जनवरी, 2019 को दोपहर 02.00 बजे खोले जाएंगे। सहभाग लेने हेतु निम्न शर्तें रखी गयी हैं :

- (1) कोटेशन जमा करते समय रू.5,000 /- (पांच हजार) बोली करने से पहले दोपहर 2.00 बजे तक नगद / डी.डी. द्वारा जमा करना आवश्यक है।
- (2) स्टॉल आबंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर का होगा।

यह फार्म केन्द्र के [www.sczcc.gov.in](http://www.sczcc.gov.in) इस वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। इस फार्म की फोटो कॉपी भी कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये श्री शशांक दंडे इनके मो.नं. 7767802261 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

  
निदेशक,  
द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

56/1, Civil Lines, Nagpur 440001 (MS) INDIA | 56/1, सिविल लाईन, नागपुर 440001 (महाराष्ट्र)

■ Tel.: (0712) 2562974, 2565107 ■ Fax: 0712-2560966 ■ E-mail: [sczccnagpur1986@gmail.com](mailto:sczccnagpur1986@gmail.com); [director@sczcc.gov.in](mailto:director@sczcc.gov.in)  
■ <https://www.sczcc.gov.in> ■ [www.facebook.com/sczcc](https://www.facebook.com/sczcc) ■ [www.youtube.com/sczcc](https://www.youtube.com/sczcc) ■ [www.flickr.com/sczcc](https://www.flickr.com/sczcc)

Form cost :- RS 100/-

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

56/1, सिव्हील लाईन्स, आमदार निवास के सामने, नागपुर - 440 001

टेलिफोन क्र.0712-2562974, फॉक्स क्र.0712-2560966

26वाँ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर

(दि. 04 - 13 जनवरी, 2019)

खाद्य पदार्थ के लिए स्टॉल आबंटित करने बाबत आवेदन-पत्र (अहस्तांतरित)

भाग - 'अ'

(आवेदन करनेवाले व्यक्ति या संस्था का ब्यौरा)

Pass Port  
Size Photo

1. आवेदन करनेवाले व्यक्ति या संस्था का नाम : .....
2. सम्पूर्ण पता : .....
3. मोबाईल/लैन्ड लाईन क्र..... ईमेल (अगर है तो) .....
4. फूड/खाद्य स्टॉल जो आप लेना चाहते है उस व्यंजन का नाम.....(Please see Annexure 'स')

Veg.  Non Veg (Please tick √ any one)

5. आरक्षित कीमत रु..... (कार्यालयीन) यह राशि Annexure 'स' में दी है।
6. ऑफर प्रस्तावित कीमत रु..... (स्टॉलधारक) (आपके द्वारा प्रस्तावित राशि इस जगह में भरने का कष्ट करें जो आरक्षित कीमत से ज्यादा होनी चाहिए। कम होने पर स्टॉल रद्द समझा जाएगा)
7. खाद्य पदार्थों की सूचि एवं रेट लिस्ट (जो स्टॉल में रखे जाएंगे) का ब्यौरा में दी है।

अ.क्र	खाद्य पदार्थ का नाम	दर
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

8. आपके प्रतिष्ठान का वैध फुड लायसन्स नं. .... (अपने साथ फुड लायसंस की मुलप्रत अवश्य रखे। फुड अॅण्ड ड्रग विभाग द्वारा मांग की गई तो उन्हे दिखाना अनिवार्य है)
9. इसके पूर्व आपने ऑ.सि.क्रा.मे.नागपुर अथवा बाहर ..... आयोजित किसी मेले में भाग लिया हो तो उसका ..... संक्षिप्त ब्यौरा दे।

मैं ..... पिता/पति का नाम ..... घोषित करता/ करती हूँ कि मैने भाग "ब" में दर्शायी गई सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। मैं इन शर्तों को स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ एवं उनका पालन करूँगा/करूँगी। साथ ही मेरे द्वारा स्टॉल पर बेचे जा रहे व्यंजन "फुड एण्ड ड्रग्स" विभाग(महाराष्ट्र शासन) के मापदंड के अनुसार ही बेचे जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट फुड पॉयझनींग या अनियमितता होती है या, इसकी वजह से किसी को कोई भी हानी होती है तो उसके लिये पूर्णतः मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/ रहूँगी। मैं सुरक्षा राशी रु.10,000/- जमा करने को तैयार हूँ। मेले दरम्यान मेरे द्वारा केन्द्र का यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

स्टॉल की किराया की पूर्ण राशि अग्रिम तौर पर डी.डी. द्वारा स्वीकारी जाएगी। जब तक यह राशि केन्द्र क लेखा विभाग में जमा नहीं की जाती तब तक स्टॉल का आबंटन नहीं होगा। तथा यह स्टॉल किसी अन्य स्टॉलधारक को दिया जाएगा।

स्थान : .....

दिनांक : .....

आवेदन करनेवाले का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यक्रम समाप्ती पश्चात कुछ नुकसान न होने पर आपके द्वारा प्राप्त रू.10,000/—(रू.दस हजार मात्र) का ड्रफ्ट आपको वापीस दिया जाएगा।

सुरक्षा राशि का विवरण (डी.डी.रू.10,000/—)		फुड स्टॉल की पूर्ण राशि डी.डी. द्वारा अग्रिम जमा करनी है	
1.	डी.डी. क्र.....दिनांक : .....	1.	रू. ....
2.	बैंक का नाम .....	2.	डी.डी. नंबर .....दिनांक .....
3.	कार्यालय रसिद नं.....	3.	बैंक का नाम .....

वरिष्ठ सहायक

कार्यक्रम अधिकारी

वरि.प्रशा. एवं लेखा अधिकारी

मा.निदेशक

## भाग 'ब'

## दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

26वां ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, नागपुर  
(फूड स्टॉल आवेदन करने हेतु शर्तें)

स्टॉल के किराए की एकमुश्त राशि केवल डी.डी. द्वारा स्वीकार की जाएगी। यह डी.डी. Director, S.C.Z.C.C., Nagpur के नाम से भेजना अनिवार्य है।

- (1) मेले में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, शराब, तम्बाकू, गुटका, सिगरेट मशीन निर्मित आइसक्रिम के साथ-साथ सभी तरह के विदेशी फूड जैसे चाईनीज, कान्टीनेन्टल, थाई, अंकल चिप्स, कुरकुरे पेस्ट्री, पीजा, बर्गर व हॉटडाग इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई भी स्टॉलधारक ऐसा करता हुआ पाया गया तो न केवल तुरंत प्रभाव से उसका स्टॉल रद्द किर दिया जायेगा अपितु उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- (2) 10'X10' के आकार के स्टॉल के लिए केन्द्र द्वारा 2 कुर्सी, 2 मेज एवं 2 टयुबलाईट प्रदान किये जायेंगे। अतिरिक्त सामग्री के लिए स्टॉलधारक को ठेकेदार से संपर्क करना होगा तथा उसका अलग से भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
- (3) स्टॉल धारक को जिन खाद्य पदार्थ की बिक्री हेतु स्टॉल आवंटित किया जायेगा उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ को स्टॉल में रख नहीं सकेंगे एवं तैयार नहीं कर सकेंगे। स्टॉलधारक पूर्व घोषित कीमत से अधिक कीमत में सामान नहीं बेच सकता। उसे प्रत्येक खाद्य पदार्थ की रेट लिस्ट बड़े-बड़े अक्षरो में स्टॉल पर प्रदर्शित करनी होगी। यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जायेगी तो आबंटन पुरी तरह रद्द किया जायेगा और स्टॉल आरक्षण राशि जप्त की जायेगी।
- (4) स्टॉल धारक अपना स्टॉल व खुली जगह साफ सुथरी रखेगा। खान पान की वस्तुओं की स्वच्छता एवं सुरक्षितता की जिम्मेदारी स्टॉल धारक की होगी, किसी भी प्रकार की तक्रार या हादसे को स्टॉलधारक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
- (5) केन्द्र में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा किंतु उसके संग्रह हेतु आवश्यक बर्तनों की एवं अपने स्टॉल तक पानी लाने की व्यवस्था उसे स्वयं को करनी होगी। केन्द्र किसी भी प्रकार से जान-माल के नुकसार का दायित्व नहीं लेता है। स्टॉल धारक चाहे तो अपना व सामान का बीमा कर सकता है।
- (6) मेले के प्रथम दिन प्रत्येक खाद्य पदार्थों की निर्धारित कीमत व मात्रा को, मेले के दरम्यान अन्य दिनों में किसी भी हालत में क्रमशः बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकेगा।
- (7) अपने स्टॉल या खुली जगह में रखे सभी बर्तन, गैस व अन्य वस्तुओं की सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी। गॅस, स्टोव्ह, चुल्हा इत्यादि के संबंधी उचित सुरक्षा प्रबंध एवं सावधानी रखनी होगी। प्रत्येक स्टॉल धारक को कम से कम दो फायर डिस्टिंगुअर (आग बुझाने का सिलेंडर) स्वयं के खर्चे पर अपने स्टॉल में रखना अनिवार्य है।
- (8) सभी स्टॉल धारक उन्हें आवंटित स्टॉल में ही अपने खाने पीने की सामग्री की बिक्री एवं बैठक व्यवस्था करेंगे। उसके आसपास किसी भी परिस्थिति में अन्यजगह का उपयोग नहीं करेंगे।
- (9) कचरा, प्लेट्स, बाउल इत्यादि डालने हेतु उसे अपना स्वयं का कूड़ादान रखना होगा। स्टॉल के आसपास कुड़ा, कचरा अथवा अस्वच्छता रहने पर प्रति दिन ₹2,000/- प्रति दिन तक दंड किया जायेगा। दंड न भरने कि स्थिति में स्टॉल आबंटन रद्द किया जायेगा तथा दंड की रकम, सुरक्षा राशि से वसूल की जाएगी।
- (10) मेला प्रतिदिन दोपहर 1.00 बजे से शुरू होगा एवं रात्रि 09.00 बजे तक खुला रहेगा। अतः अपना स्टॉल निर्धारित समय पर तैयार रखना आवश्यक है।
- (11) स्टॉल धारक को आवंटित स्टॉल दि. 03 जनवरी, 2019 को सुबह 11.00 बजे दिये जायेंगे। किसी भी परिस्थिती में आवंटित स्टॉल में बदली नहीं किया जायेगा।
- (12) खाद्य पदार्थों की सूची एवं कीमत का सम्पूर्ण विवरण आवेदन के साथ करना होगा।
- (13) बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट क्वालिटी, साज-सज्जा, ईको-फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल, स्टॉल के आजुबाजु की साफसफाई और कीमत इत्यादि के आधार पर मेले में किसी एक फूड स्टॉल को ₹. 21,000/- (रु.एककीस हजार) एवं द्वितीय पुरस्कार ₹.11,001/- (रु.ग्यारह हजार एक) का नगद पुरस्कार दिया जायेगा।

- (14) गले-सडे फूड,मिलावटी सामान अथवा बासी एवं Expiry हुये खाद्य, पेय, पदार्थ बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- (15) किसी तरह का वाहन अंदर नही आयेगा।
- (16) सुरक्षा राशि रु.10,000/- (दस हजार)प्रति स्टॉल केवल डी.डी. द्वारा। (सुरक्षा राशि जमा) आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी। इसकी रसिद कॅशियर, द.म.क्षे.सां.केन्द्र से प्राप्त करें।
- (17) मिट्टी के कुल्हड का, या इको फेंडली प्लेट्स का हि इस्तेमान करें।
- (18) नये स्टॉल धारको को स्टॉल आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- (19) स्टॉल को आबंटित, रद्द एवं संख्या निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक,दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर इनको रहेगा। इस विषय में कोई सिफारिश या अन्य प्रकार मान्य नहीं हैं। इसमें स्टॉलधारक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा।
- (20) यदि स्टॉल धारक दि.03 जनवरी, 2019 को शाम 6 बजे तक उन्हें आबंटित स्टॉल को अपने कब्जे में नहीं लेता है तो आयोजक उस खाली स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित कर सकेंगे। इस परिस्थिती में उस व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि एवं अमानत राशि केन्द्र द्वारा रख ली जायेगी।
- (21) कोई भी स्टॉल धारक अपनी जगह में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे।
- (22) शीतल पेय, मिनरल वाटर के लिए उपयोग में लाये जानेवाले शीत संग्रहाकार (कोल्ड स्टोरेज) पॉपकॉर्न मशीन तथा शुगर कन्डी मशीन हेतु स्टॉल धारक से अतिरिक्त बिजली खपत हेतु रु.500/- प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त राशि अग्रिम वसूल की जायेगी, जिसे पूर्व में सूचित करना होगा एवं राशि जमा करना होगी।
- (23) मेले के अंतिम दिन स्टॉल धारक अपने खान-पान की समस्त सामग्री बाहर ले जायेगे अन्यथा रु.700/- प्रतिदिन से राशि जमा करनी होगी। केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व उन्हें केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी से अनापत्ति प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। बगैर अनापत्ति प्रपत्र के उनकी सामग्री बाहर जाने नहीं दी जायेगी।
- (24) कोई भी स्टॉल धारक अपनी जगह में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करेंगे।
- (25) केन्द्र प्रत्येक स्टॉल धारक को दो व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र देगा, जो अहस्तांतरणीय होगा।
- (26) स्टॉल के लिए निर्धारित राशि अदा करने के पश्चात किसी भी परिस्थिती में वापस नहीं दि जायेगी।
- (27) उपयोग मे लाया जा रहा गैस सिलेंडर व्यवसायिक होना आवश्यक है।
- (28) बिक्री का लाइसेंस आवश्यक रहेगा जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें। संलग्न नही करने पर आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
- (29) अपने स्टॉल पर कोई भी बाल कामगार काम पर ना रखें, अन्यथा स्टॉल रद्द किया जाएगा।
- (30) केन्द्र द्वारा प्रत्येक रीजन/क्षेत्र का केवल एक ही फूड स्टॉल किराये पर दिया जायेगा। उदाहरण के रूप में अवधीफूड (Veg) का केवल एक ही स्टॉल रहेगा।
- (31) स्टॉल धारक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर Food & Drugs के संबंध में बनाये गये सभी नियमों/ कानून का पालन करना होगा।
- (32) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में उसका परिक्षेत्र नागपूर उच्चन्यायालय रहेगा।

मैंने उपरोक्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं।

स्थान :

दिनांक :

आवेदन करने वाले के हस्ताक्षर

नाम .....

मोबाईल नं. ....

ईमेल नं.....

Annexure " स "

SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

26<sup>th</sup> ORANGE CITY CRAFT MELA, NAGPUR

Date : 04<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> January, 2019 (Daily : 01 P.M. to 09 P.M.)

List of Non-Veg. Stall with price

Sr. No.	Food Item	Non -Veg.	Reserve Price	Your Offer Price should be more than Reserve Price
1.	Saoji	Non-Veg.	1,00,000	
2.	Konkani	Non-Veg.	1,00,000	
3.	Kolhapuri	Non-Veg.	50,000	
4.	Avadhi	Non-Veg.	50,000	
5.	Hyderabadi	Non-Veg.	1,00,000	
6.	Punjabi	Non-Veg.	1,00,000	
7.	Kashmiri	Non-Veg.	50,000	
8.	Sea Food	Non-Veg.	1,00,000	

## Annexure " ञ " "

## SOUTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE, NAGPUR

26<sup>th</sup> ORANGE CITY CRAFT MELA, NAGPURDate : 04<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> January, 2019 (Daily : 01 P.M. to 09 P.M.)

## List of Veg. Stall with price

Sr. No.	Food Item	Veg.	Reserve Price	Your Offer Price should be more than Reserve Price
1.	Varadi	Veg.	1,00,000	
2.	Avadhi	Veg.	50,000	
3.	Hyderabadi	Veg.	70,000	
4.	South Indian	Veg	75,000	
5.	Bengali Sweet	Veg.	30,000	
6.	Gujarathi	Veg.	50,000	
7.	Mumbaia (Wada Pav, Pav Bhaji, Chat, Bhelpuri)	Veg.	60,000	
8.	Bihari Food	Veg.	60,000	
9.	Jain Food	Veg.	30,000	
10.	Rajasthani	Veg.	1,00,000	
11.	Malwa	Veg.	75,000	
12.	Punjabi	Veg.	75,000	
13.	Kashmiri	Veg.	30,000	
14.	Kerala	..	30,000	
15.	Konkani Veg.	..	50,000	
16.	Goa	..	75,000	
17.	North East	..	30,000	
18.	Natural Fresh all type of Juices	..	50,000	
19.	Fruit & Fruit Salad	..	50,000	
20.	Pop Corn(Rs.500/- per day electricity extra)	..	40,000	
21.	Sugar Candy(Rs.500/- per day electricity extra)	..	50,000	
22.	Milk Product including variety of Kulfi (without ice-cream)	..	60,000	
23.	Churan /Supari	..	75,000	
24.	Pan (Only chewing pan)	..	45,000	
25.	Sweet Corn/ Hurda	..	60,000	
26.	Pickles/Papad/ Farsan	..	60,000	
27.	Tea/ Coffee	..	30,000	
28.	Water	..	45,000	